फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

रामानन्द / कैलाश

केस संख्या : 36/2023 (धारा)

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/9/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उप०। प्रा० पत्र 07 R11 सीपीसी पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र 07 R11 सीपीसी हेतु दिनांक 1/10/2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	1/10/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आदेश 07 R11 हेतु दिनांक 17/10/2024 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर
	17/10/2024	पत्रावली प्रस्तुत। व०क० उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। प्रार्थना पत्र 07 R11 स्वीकार होने पर वाद ... किया जाता है। पत्रावली ... शुमार होकर ... [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2024.10.22 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या – 36/2023
बउनवानी – रामानंद बनाम कैलाश
निर्णय दिनांक – 17.10.2024

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अंजु वर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या 36/2023

1. रामानन्द
2. धन्नाराम
3. रामकुंवार पुत्र नारायण
4. मुरलीधर पुत्र नारायण

पुत्रान जाति जाट निवासी ढाणी पाट्यावाली ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर।

........वादीगण

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र नानगराम
2. अर्जुन लाल पुत्र भैरू
3. कानाराम पुत्र भैरू
4. गंगाराम पुत्र बालूराम
5. गणेश पुत्र हनुमान
6. गोपाल पुत्र भूरा
7. गोरधन पुत्र हनुमान
8. डालूराम पुत्र हनुमान
9. धोली पुत्री ईश्वर
10. प्रभूदयाल पुत्र नानू
11. परसराम पुत्र ईश्वर लाल
12. बंशीधर पुत्र भैरू
13. मु. चौथी पत्नी स्व. हनुमान
14. मंगल चन्द पुत्र नानू
15. मंगली देवी पत्नी बाबूलाल
16. मोहन लाल पुत्र ईश्वर लाल
17. रूकमा देवी पत्नी बलदेव
18. रामू पुत्र भूरा
19. शंकर लाल पुत्र ईश्वर लाल
20. शैतानमल पुत्र नानू
21. श्योराम पुत्र ईश्वर लाल
22. सुरेश चन्द पुत्र नानू
    समस्त जाति जाट निवासी ढाणी पाट्यावाली ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
23. सूजी देवी पत्नी छीतर मल जाति कुम्हार निवासी ना[illegible] जैसा बोहरा तहसील व जिला जयपुर।
24. कौशल्या देवी पत्नी छीतरमल जाति खाती निवासी प्लाट नम्बर 12, ग्रीन पार्क दादी का फाटक जयपुर।
25. बलदेव पुत्र गोमाराम
26. बाबूलाल पुत्र गोमाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2024.10.22 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी पाट्यावाली ग्राम जयरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

28. उप पंजीयक आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

रामानंद बनाम कैलाश वगै.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश– 7 नियम – 11 सिविल प्रक्रिया संहिता

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

उपस्थिति :– (1) श्री मुकेश कुमार शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री मोहनलाल जाट – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या – 1, 2, 3, 12, 20, 22 की ओर से

दिनांकः– 17.10.2024

निर्णय

न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन उपरोक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3, 12, 20, 22 की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत निरस्तीकरण वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त वर्णित भूमि ग्राम जयरामपुरा, पटवार हल्का जयरामपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खोराबीसल, तहसील आमेर जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 264 पुराना 253 के खसरा नंबर 1653 रकबा 0.3400 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/100, व वादी संख्या 2 व 3 का हिस्सा 17/1200 दर्ज व अंकित है। व खाता संख्या नया 265 पुराना 254 के खसरा नंबर 1270 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1271 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1272 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1273 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1275 रकबा 0.3800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1279 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1280 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1281 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1342/1943 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नंबर [illegible] हैक्टेयर, खसरा नंबर 1362 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 13[illegible] रकबा 0.2200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1364 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1365 रकबा 0.2400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1366 रकबा 0.9300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1367 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1368 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2024.10.22 16:21:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

1379 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1483 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1484 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1485 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1486 रकबा 1.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1487 रकबा 0.7800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1488 रकबा 2.0000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1503 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1504 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1665 रकबा 2.0900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1657/1971 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1658 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1659 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1660 रकबा 0.4700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1661 रकबा 0.6800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1662 रकबा 0.5700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1663/1972 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1664/1973 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1665 रकबा 0.8900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1666/1722 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1669 रकबा 0.2000 हैक्टेयर कुल किता 38 कुल रकबा 15.0600 हैक्टेयर बाबत् एक वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(5) के अनुसार एक से अधिक खातों में समान पक्षकार होने पर ही संयुक्त विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त उनवानी वाद में खाता संख्या 264, 265 में भिन्न–भिन्न खातेदार होने पर भी एक ही वाद प्रस्तुत किया गया है। इसलिए प्रस्तुत उक्त वाद बार्ड बाई लॉ होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

वादीगण/अप्रार्थी की ओर से आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि खाता संख्या 264 व खाता संख्या 265 के बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना स्वीकार है। तथा दोनों खातों में वर्णित आराजीयात पैतृक संपत्ति है। दोनों ही खातों को मिलाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा एक साथ मनबट कर वि[illegible]र रखा है। कुछ खातेदारो द्वारा एक ही खाते में आराजीयात मनबट [illegible] है इसलिए दोनों खातों का विभाजन किया जाना आवश्यक है [illegible] दर्ज खातेदारों द्वारा खाता संख्या 264 में अपना हिस्सा प्रतिवादी 23 व 24 को विक्रय किया गया है जो वादीगण का हिस्सा है। इसलिए अलग–अलग वाद पेश करना आवश्यक नही है। तथा वादीगण दोनों खातों में ही खातेदार है। यदि वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2024.10.22 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर म. जयपुर

पत्र खारिज किया जाता है तो बेवजह वाद बाहुल्यता बढेगी, इस कारण दोनों खातों में एक साथ कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है तथा वाद पत्र किसी भी कानून के तहत विधि द्वारा वर्जित नहीं है तथा विचाराधीन प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों के तहत नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(5) की प्रति पेश की। तथा वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2012 (1) RRT 122, RRD 1977, Tenancy Act 1955 की धारा 92 की प्रति, पेश किया। न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रतिवादी/प्रार्थी की मुख्य आपत्ति यह रही कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 53(5) के अनुसार एक से अधिक खातों में समान पक्षकार होने पर ही संयुक्त विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त उनवानी वाद में खाता संख्या 264, 265 में भिन्न–भिन्न खातेदार होने पर भी एक ही वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादी द्वारा दौराने बहस यह उल्लेख किया गया कि दोनों खातों में वर्णित आराजीयात पैतृक संपत्ति है। उक्त खातों को मिलाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा एक साथ मनबंट कर विभाजन कर रखा है। कुछ खातेदारो द्वारा एक ही खाते में आराजीयात मनबंट में ली गई है इसलिए दोनों खातों का विभाजन किया जाना आवश्यक है पूर्व दर्ज खातेदारों द्वारा खाता संख्या 264 में अपना हिस्सा प्रतिवादी 23 व 24 को विक्रय किया गया है जो वादीगण का हिस्सा है। परन्तु यहां यह देखा जाना आवश्यक है कि वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करते समय दोनो खातो में पक्षकार भिन्न–भिन्न थे तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–53(5) में स्पष्ट अंकित किया गया है कि *"एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकेगा बशर्ते कि* [illegible] *हों।"* वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2012 (1) RRT 122 [illegible] *अंकित किया गया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 घोषणा, विभाजन एवं इन्द्राज दुरूस्ती हेतू वादं–प्रतिवादीगण द्वारा प्रति*[illegible] *पेश किया– आपसी विभाजन के संबंध में विवाद–विवादित भूमियां सह–खातेदारी में दर्ज है और विधिक रूप से विभाजन होना शेष है– सहखातेदारी में सभी भूमियों का*

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2024.10.22 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

विभाजन एक वाद में होना चाहिए। प्रतिवदावा निर्णीत नहीं किया, निर्णीत, निर्णय अपास्त किया व तनकीयात के स्तर से दावा व प्रतिदावा निर्णीत, करने हेतू मामला प्रतिप्रेषित किया। उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होता है क्योंकि न्यायिक दृष्टांत में उद्घोषणा, एवं बंटवारा धारा 88 एवं 53 एक साथ प्रस्तुत किया गया है जोकि केवल विभाजन धारा 53 के दावे पर लागू नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 92 में अंकित किया गया है कि *"कई जातों के बारे में एक ही वाद – यदि पक्षकार वे ही हों तो कई जोतों के बारे में धारा 88 या धारा 89 या धारा 90 के उपबंधो के अधीन एक ही वाद संस्थित किया जा सकेगा।"* उक्त में स्पष्ट अंकित किया गया है कि पक्षकार वे ही हो यहां इस वाद में पक्षकार अलग– अलग है तथा धारा 92 में केवल धारा 88, धारा 89, व धारा 90 के बारे में उल्लेख किया गया है ना कि धारा 53 का अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। अतः वादीगण का वाद कानूनी प्रावधानों के अनुसार वर्जित होने के कारण खारिज योग्य है। वादी नया वाद लाने के लिए स्वतंत्र है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बार्ड बाई लॉ (Barred by Law) साबित होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Varma
Date: 2024.10.22 16:11:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर